उपस्थिति — श्री गौरी शंकर

न्यायालय—सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम, डुमरॉव

स्वत्व वाद सं0 —499 / 2022

बैद्यनाथ लाल..........................वादी।

बनाम्

कमलेश चौधरी वगै...............................प्रतिवादीगण।

आदेश

08.01.2026 उभय पक्ष की हाजिरी है। पुकार पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुये। वादी के तरफ से दाखिल आवेदन दिनांक 15.09.2025 को प्रचालित करते हुये वादी के विद्वान अधिवक्ता कथन करते है कि वादी बैद्यनाथ लाल के मृत्यु दिनांक 10.07.2025 को हो चुकी है और इनके कानूनी वारीसान प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, बिन्दु देवी, सीमा देवी का नाम उनके गवाह से प्रतिस्थापित किया जाय। अनुरोध करते हैं कि न्यायहित में वादी का आवेदन स्वीकृत करने का आदेश दिया जाय।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त आवेदन पर अनापत्ति अंकित किया गया है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। उक्त आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है तथा प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त आवेदन पर अनापत्ति अंकित किये है। अतः वादी के तरफ से दाखिल आवेदन दिनांक 15.09.2025 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वादी बैद्यनाथ लाल के मृत्यु के बाद उनकी वारीसान प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, बिन्दु देवी, सीमा देवी का नाम अर्जी में जोडने का आदेश दिया जाता है।

दिनांक— 26.02.2026 वास्ते 89 पर सुनवाई हेतू।

लेखापित

(गौरी शंकर)
सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम,
डुमरॉव (बक्सर)